

फा.सं. 1 70(12)/2021-भर्ती -I

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-1 अनुभाग

पद का नाम:	दिल्ली एनसीटी सरकार के आयुष निदेशालय में सहायक प्रोफेसर (यूनानी, इलमुल अदविया) के 01 यूआर पद पर भर्ती के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग मानदंड।
विज्ञापन संख्या: 04/2022	
रिक्ति संख्या	22020403126
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा
प्रभावी आवेदनों की कुल संख्या	72, सभी आवेदनों पर विचार किया गया है

आवश्यक योग्यता

(ए) कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा में डिग्री या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा के वैधानिक/संकाय/परीक्षा निकाय या समकक्ष।

(बी) इंडिया मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 की अनुसूची में शामिल संबंधित विषय / विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री।

तौर-तरीके

(ए) ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी और ओआरए के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाण पत्र के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न स्क्रीन रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई है।

(बी) एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से प्राप्त आवेदनों को सामान्य उम्मीदवारों के समान माना गया है। पीजी डिग्री के बाद पद के लिए शिक्षण और नैदानिक अनुभव में अनुभव को बढ़ाकर 05 वर्ष कर दिया गया है।

(सी) अनुभव की गणना करते समय अंशकालिक/प्रति घंटा आधार/दैनिक वेतन/विजिटिंग/अतिथि

संकाय/प्रशिक्षु/प्रशिक्षु/परामर्शदाता/मानद/स्वरोजगार और वजीफा के रूप में प्राप्त अनुभव की गणना नहीं की गई है। संबंधित क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।

(डी) विचाराधीन पद के लिए भर्ती नियमों (आरआर) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन की जांच सख्ती से की गई है।

(ई) संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव को ध्यान में रखा गया है, यदि आवश्यक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

(एफ) जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव नहीं है, उन्हें उन्नत मानदंड 'एलईसी' की कमी के तहत खारिज कर दिया गया है।

(छ) यदि अनुभव प्रासंगिक क्षेत्र में नहीं है, जैसा कि पीजी डिग्री के बाद शिक्षण और नैदानिक अनुभव में 05 वर्ष तक बढ़ाया गया है, ऐसे उम्मीदवारों को 'जेडओसी' अस्वीकार कर दिया गया है।

यूआर उम्मीदवार के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग मानदंड: ईक्यू (ए) + ईक्यू (बी) + पीजी डिग्री के बाद शिक्षण और नैदानिक अनुभव में 5 साल का अनुभव।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए लघु-सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ग	लघु सूचीबद्ध आवेदक
अनारक्षित	अनुक्रमांक; 02, 10, 21, 26, 28, 30, 32, 43, 61, 62 & 64 = 11 उम्मीदवार

➤ निम्नलिखित आवेदकों को खारिज कर दिया गया है:

अस्वीकृति का कारण	अनुक्रमांक:
ZOC में, लेकिन LEC के तहत खारिज कर दिया गया	अनुक्रमांक;: 14, 31,33, 37, 40,41, 48 , 60 & 66 =09 उम्मीदवार
अधिक उम्र का	अनुक्रमांक; 13 = 01 उम्मीदवार
एलईसी की कमी	अनुक्रमांक; 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71 & 72= 51 उम्मीदवार

आवेदकों की सूची अनुबंध 'A' में है।

(परिमल ठाकुर)
उप सचिव/ कंसल्टेंट
संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैं, वे दिनांक 27.06.2022 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते हैं तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दशाएँ गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।